¼2010½ 12 एस-सी-आर- 839

गिरिश श्रीवास्तव और अन्य
वि-
मध्यप्रदेश राज्य व अन्य
¼2010 की सिविल अपील सं- 9227½
22 अक्टूबर 2010

(जी-एस- सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, न्यायाधीशगण)

सेवा कानूनः

मध्य प्रदेश पंचायत संविदात्मक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियम 2001 5 (4) (ख) - संविदात्मक शिक्षक - चयन और नियुक्ति - यह आरोप है कि पूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिये कोई उचित विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और चयन समिति के सदस्यों के करीबी रिश्तेदार चयन के उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुए - जनहित याचिका के माध्यम से नियुक्ति को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई- संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द गया - अपील अभिनिर्धारण मुद्दा एक सेवा विवाद होने के कारण जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी - चयन प्रक्रिया में निकट संबंधियों की कथित भागीदारी होने से पूरी चयन प्रक्रिया को निष्फल नहीं करेगा - केवल अवैध लाभाथियो को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा- यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञापन इस तरह से बनाया गया था जो कि पूर्व सैनिकों को आवेदन करने से रोकता हो - उच्च न्यायालय ने साम्या को ठीक से संतुलित नहीं किया - इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए चयन कायर्वाही को बरकरार रखा जाता है- जनहित याचिका - साम्या

अपीलार्थीगण का चयन किया गया और तदानुसार उन्हें मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शिक्षक ¼ नियुक्ति और सेवा की शर्ते½ नियम 2001 के प्रावधानों के तहत पंचायत स्कूलों में संविदा शाला शिक्षक ¼ संविदा शिक्षक ½ के रूप में नियुक्ति किया गया उक्त नियुक्तियों को दो रिट याचिकाओं के माध्यम से जनहित याचिका में क्रमशः इन आधारों पर चुनौती दी गई थी कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लिए कोई उचित विज्ञापन नहीं था और चयन समिति के सदस्यों के करीबी रिश्तेदार चयन के लिए उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुए थे उच्च न्यायालय ने संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करते हुए रिट याचिकाएँ स्वीकार कर ली हालांकि अपीलाथीगण को दोनों रिट याचिकओं में से किसी में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था लेकिन वे उच्च न्यायालय ने पुनर्विलोकन याचिकाएँ खारिज कर दी इसलिए अपीलाथीगण ने मौजूदा अपील दायर की ।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना

1-1 मौजूदा मामले में विवाद चयन और नियुक्ति को लेकर है जो एक सेवा मामला है सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है ¼ पैरा व 15 ¼848 ए बी½½

1-2 उच्च न्यायालय ने पुनर्विलोकन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में निकट संबंधियों को शामिल होने की अनुमति देने की गंभीर अनियमितता को देखते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। यह निष्कर्ष काफी व्यापक है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से ऐसा

प्रतीत होता है कि रिट याचिका (सि) संख्या 63/2002 में चयन समिति के किसी भी सदस्य ने अपने निकट संबंधियों को अभ्यर्थी के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अकेले रिट याचिका (सि) संख्या 1529/2001 में निकट संबंधियों की उपस्थित के आधार पर चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और रिट याचिका (सि) संख्या 63/2002 में नहीं बल्कि रिट याचिका (सि) 63/2001 में भी एक आदेश दिनांक 10.12.2001 पुनरीक्षण याचिका खारिज करने से पहले जिला कलेक्टर द्वारा जांच करने के बाद दिया गया था और यह यह परिभाषित किया गया है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 में कि चयनकर्ताओ के रिश्तेदारों के चयन के तीन कथित मामलों में से दो रिश्तेदार नहीं थे । *जे पी* जो धारा 40 के अंतर्गत जिला पंचायत के सदस्य *एल एस* के रिश्तदार पाए गए का साक्षात्कार लिया गया लेकिन उनका कभी चयन नहीं किया गया । यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रमाणित की गई। **[पैरा 23] [850-बी-एफ]**

1.3 चयन प्रक्रिया में निकट संबंधियों की कथित भागीदारी ऐसा कोई कारक नहीं था जो कि पूरी चयन प्रक्रिया को निष्फल कर दे। यदि चयन प्रक्रिया में कुछ अवैध लाभार्थी थे भी, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय उन्हें बाहर किया जाना चाहिए था। **[पैरा 24] [850-जी**]

चरणजीत सिंह और अन्य बनाम हरिंदर शर्मा और अन्य **(2002) 9 एससीसी 732**; भारत संघ और अन्य बनाम राजेश पी. यू. पुथुवलनिकथु और अन्य **(2003) 7 एससीसी 285, संदर्भित।**

1.4 जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित वर्ग के रूप में चयन एवं नियुक्ति का प्रश्न है, जबकि मेहगांव में कुल 9 आवेदकों में से 5 भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया था, वहीं रौन में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। यदि पूर्व सैनिकों की आरक्षण नीति के संबंध में कोई मुद्दा था, तो इसे सेवा विवाद के रूप में लाया जाना चाहिए था, न कि जनहित याचिका में। उच्च न्यायालय को, उचित सम्मान के साथ, चयन प्रक्रिया को रद्द करने से पहले थोड़ा ज्यादा संयम और संतुलन दिखाना चाहिए था, जिसमें चयनित व्यक्ति पहले ही 3 साल की सेवा दे चुके थे। **[पैरा 26] [852-ए-सी]**

1.5 उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र के पैरा 10 में कहा गया है कि यदि आवेदक दिव्यांग या पूर्व सैनिक है तो उसे आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा और सक्षम प्राधिकारी से इसी आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। रिट याचिका (सि) संख्या 1529/2001 में 9 पूर्व सैनिकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5 को आरक्षित श्रेणी में चयनित एवं नियुक्त किया गया। बाकी 4 का चयन, चयन प्रक्रिया में नहीं हुआ। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञापन इस प्रकार बनाया गया था कि पूर्व सैनिकों को आवेदन करने से रोका जा सके। **[पैरा 27] [852-डी-ई]**

1.6 इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए है कि नियुक्ति रद्द करने का आदेश अधिकांश अपीलार्थीगण को बेरोजगार कर देगा। उनमें से अधिकांश पहले गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ा रहे थे, जहां से उन्होंने विज्ञापन के आलोक में आवेदन करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पिछला रोजगार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया था कि उनके तीन साल के लंबे शिक्षण अनुभव के लिए, वर्तमान चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया उन्हें 25 प्रतिशत का अनुग्रह अंक प्रदान कर रही थी। इससे उन्हें उनकी आयु के संबंध में 8 वर्ष की छूट भी मिल गई। अब, यदि वे उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप अपनी नौकरी खो देते हैं,

तो वे प्रभावी रूप से बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि वे गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों में अपनी पिछली नौकरियों पर भी वापस नहीं लौट सकते हैं, जिन्हें तभी से समाप्त कर दिया गया है। इससे कई परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उनमें से अधिकांश 35-45 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, और उनके लिए दूसरी नौकरी खोजने की संभावनाएँ क्षीण हैं। उनमें से कुछ वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा अपनी नियुक्ति को रद्द करने के समय अपने वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। **[पैरा 28] [852-एफ-एच; 853-ए-बी] डी**

1.7 उच्च न्यायालय के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग में साम्या को उचित रूप से संतुलित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जाता है। चयन कार्यवाही को बरकरार रखा गया है। **[पैरा 29 और 30] [853-बी-सी]**

डॉ. दुर्योधन साहू एवं अन्य बनाम जीतेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य **(1998) 7 एससीसी 273**; बी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक अर्बन जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड कर्मचारी संघ व अन्य **(2006) 11 एससीसी 731 (II)**; दत्तराज नाथूजी ठवरे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य **¼2006½ 11 एससीसी 11 एससीसी 731;** अशोक कुमार पांडे बनाम डब्ल्यू.बी. **(2004) 3 एससीसी 349**; हरि बंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद माहतो व अन्य **(मनु/एससी/9654/2010)**; प्रबोध वर्मा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य **(1984) 4 एससीसी 251;** रामाराव और अन्य बनाम ऑल इंडिया बैकवर्ड D लास बैंक एम्प्लायज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य **(2004) 2 एससीसी 76**; बी. रामन्जिनी और अन्य बनाम स्टेट आफ आंध्र प्रदेश व अन्य **(2002) 5 एससीसी 533 - संदर्भित**।

निर्दिष्ट निर्णय :

(1998) 7 एससीसी 273	**संदर्भित**	**पैरा 16**
(2006) 11 एससीसी 731 (II)	**संदर्भित**	**पैरा 17**
(2005) 1 एससीसी 590	**संदर्भित**	**पैरा 18**
(2004) 3 एससीसी 349	**संदर्भित**	**पैरा 19**
(1984) 4 एससीसी 251	**संदर्भित**	**पैरा 22**
(2004) 2 एससीसी 76	**संदर्भित**	**पैरा 22**
(2002) 5 एससीसी 533	**संदर्भित**	**पैरा 22**
(2002) 9 एससीसी 732	**संदर्भित**	**पैरा 24**
(2003) 7 एससीसी 285	**संदर्भित**	**पैरा 25**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9227 / 2010

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ, ग्वालियर के निर्णय और आदेश दिनांक 06.08.2004 से पुर्नविलोकन याचिका के आर.पी. संख्या 1071/ 2003

साथ

सी.ए. संख्या 9228-9230, 9231, 9232-9233 / 2010

प्रवीण एच. पारेख, बसावा, प्रभु एस. पाटिल, शकुन शर्मा, अर्जुन गर्ग, विशाल प्रसाद (पारेख एंड कंपनी के लिए) अपीलार्थीगण की ओर से ।

प्रमोद स्वरूप, प्रदीप पुरोहित, बी.एस. बांठिया, परीना स्वरूप उत्तरवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय गांगुली-न्या. द्वारा सुनाया गया-

1. इन सभी विशेष अवकाश याचिकाओं को मंजूर किया गया है।

2. ये अपीलें पुर्नविलोकन याचिका 1071/2003, 1074/2003 दिनांक 06.08.2004 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा में दिए गए निर्णय और रिट याचिका(सि) 63/2002 और रिट याचिका(सि) 1529/2001 दिनांक 3.11.2003 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। पुर्नविलोकन याचिकाएँ उन शिक्षकों द्वारा दायर की गईं, जो रिट याचिकाओं में पक्षकार नहीं थे, लेकिन उच्च न्यायालय के दिनांक 03.11.2003 के फैसले से प्रभावित थे।

3. अपीलार्थीगण स्कूल शिक्षकों के ग्रेड II और III का एक समूह है जो पंचायत स्कूलों में संविदा शाला शिक्षक (संविदा शिक्षक) के रुप में काम करते है। उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शिक्षक (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियम, 2001 (इसके बाद -ß2001 नियम Þ) के प्रावधानों के तहत की गई थी। ये चयन नियम जो 11.07.2001 को लागू हुए थे, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (अधिनियम 1994 का 1) मध्य प्रदेश की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे ।

4. उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में जिला पंचायत कार्यालय, जिला भिंड द्वारा नियुक्तियों हेतु चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। सभी अपीलार्थीगण ने आवेदन किया था और उनका चयन किया गया और परिणामस्वरूप उन्हें संविदा शाला शिक्षक के रुप में नियुक्त किया गया ।

5. हालांकि, इन नियुक्तियों को दो जनहित याचिकाओं रिट याचिका(सि) 1529/2001 और रिट याचिका(सि) 63/2002 में अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 2001 के नियमों के उल्लंघन में, पूर्व के लिए आरक्षण के लिए कोई उचित विज्ञापन नहीं दिया गया था- चयन समिति के सदस्यों ने अपने निकट संबंधियों को चयन के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि रिट याचिका (सि) 1529/2001 ने जनपद पंचायत मेहगांव द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी, रिट याचिका (सि) 63/2002 ने जनपद पंचायत रौन द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी। दोनों पंचायतें मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हैं।

2001 के नियम 5 (4) (बी) में प्रावधान है:

> "रिक्त पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिए, आरक्षण होगा -
>
> (i) xxx
>
> (ii) xxx
>
> (iii) पूर्व सेना कर्मियों के लिए 10%;
>
> (iv) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य श्रेणी को भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

6. दिनांक 11.07.2001 के ज्ञापन के पैरा 5 (viii) में प्रावधान है:

> (5) संविदा शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम 2001 के कुछ प्रावधानों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना है, जो इस प्रकार हैं:-
>
> (1)xxx

(ii)xxx

(iii)xxx

(iv)xxx

(v)xxx

(vi)xxx

(vii)xxx

(viii) साक्षात्कार बोर्ड के गठन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बोर्ड के सदस्यों के पुत्र/पुत्री अथवा वास्तविक रिश्तेदार साक्षात्कार में भाग नहीं ले रहे हैं। यह उचित होगा कि इस संबंध में सदस्यों से एक वचन पत्र लिया जाए।"

7. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित बिंदुओं पर की गई।

8. रिट याचिका संख्या 1529/2001 के संबंध में उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया, अन्य बातों के साथ, इस आधार पर कि नियुक्तियाँ अवैध थीं क्योंकि चयन समिति के सदस्यों ने अपने निकट संबंधियों को चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति दी थी। इसमें कहा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा की गई जांच के आधार पर, चयन समिति के तीन सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उनसे पूछा गया था कि उनके रिश्तेदार चयन में उम्मीदवार के रूप में क्यों उपस्थित हुए।

9. उच्च न्यायालय ने आगे माना कि नियम 5 (4) (बी) के उल्लंघन में, जिसमें पूर्व-सैनिको के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है, पूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई उचित विज्ञापन नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि उत्तरवादी-मध्य प्रदेश राज्य ने अपनी ओर से इस गलती को स्वीकार कर लिया है। इस सवाल पर कि क्या जो लोग पहले ही नियुक्त हो चुके थे और नियुक्तियों को रद्द करने के उक्त आदेश से प्रभावित हो रहे थे, उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए या नहीं, न्यायालय ने माना कि दिनांक 07.11.2001 के एक पूर्व आदेश में उसने कहा था कि संबंधित मामले में नियुक्ति पत्र जारी करना रिट याचिका के परिणाम के अधीन था। इसलिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया था, उन्हें दोबारा पक्षकार बनाने का सवाल ही नहीं उठता।

10. हालाँकि, रिट याचिका संख्या 63/2002 में, भले ही उच्च् न्यायालय ने 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के उल्लंघन के मद्देनजर याचिका की अनुमति दी, लेकिन रिट याचिका में यह माना गया कि चयन समिति के सदस्यों के निकट रिश्तेदारों चयन के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसलिए, रिट याचिका (सि) 1529/2001 के फैसले के विपरीत, रिट याचिका (सि) 63/2002 में न्यायालय ने निकट रिश्तेदारों की उपस्थिति के आधार पर चयन को रद्द नहीं किया। इसके बजाय इसने चयन को केवल नियम 5 (4) (बी) के उल्लंघन करने के कारण अमान्य कर दिया, जिसमें पूर्व-सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है

11. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर कुछ सफल अभ्यर्थीगण ने, जो यहां अपीलार्थीगण हैं, और दोनों रिट याचिकाओं में से किसी में भी पक्षकार नहीं थे, उच्च न्यायालय पुर्नविलोकन याचिका संख्या 1071/2003, 1074/2003 और 1117/2003 दायर की। उन्होंने दलील दी कि रिट याचिका 1529/2001 और रिट याचिका 63/2002 में चयन प्रक्रिया को कार्यवाही में शामिल किए बिना, उनके असामान्य पूर्वाग्रह के तहत

रद्द कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि क्या मुट्ठी भर उम्मीदवारों की कथित अनुचित भर्ती ने पूरे चयन को त्रुटिपूर्ण बना दिया था, यह उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला मामला है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक सेवा मामले में जहां स्पष्ट उपाय उपलब्ध है, एक जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

12. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2004 में सभी पुर्नविलोकन याचिकाओं को खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेशों को बरकरार रखते हुए इसने कहा कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता को ध्यान में रखते हुए, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित और सही था।

13. इन अपीलों में यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका(सि) 1529/2001 और रिट याचिका (सि) 63/2002 को जनहित याचिका नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें व्यक्तिगत हित का एक तत्व शामिल था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ये जनहित याचिकाएँ केवल दो जनपदों के संबंध में दायर की गई थीं, जबकि चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन और उसके परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया छह जनपदों में की गई थी। साथ ही, विज्ञापन को चुनौती इसके जारी होने की तारीख के तीन महीने बाद दी गई थी।

14. हालांकि, रिट याचिका(सि) 1520/2001 और रिट याचिका (सि) 63/2002 पर विचार करने के खिलाफ अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क इस आधार पर है कि सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस न्यायालय की राय है कि उस विवाद में काफी दम है।

15. यह सामान्य आधार है कि इस मामले में विवाद चयन और नियुक्ति को लेकर है जो एक सेवा मामला है।

16. डॉ. दुर्योधन साहू और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य (1998) 7 एससीसी 273 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि सेवा मामलों में एक जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस न्यायालय ने श्रीनिवासन न्या. के माध्यम से बोलते हुए, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के असाधारण क्षेत्राधिकार की पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 323-ए के तहत बनाए गए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के उद्देश्य को समझाया। इस न्यायालय ने कहा, ß यदि अजनबियों के कहने पर जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, (प्रशासनिक) न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार करने की अनुमति दिए जाने पर, सेवा मामलों के त्वरित निपटान का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा" (पैरा 18)। वही तर्क यहां भी लागू होता है क्योंकि एक जनहित याचिका दायर की गई है जब पूरा विवाद चयन और नियुक्ति से संबंधित है।

17. बी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक अर्बन जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड कर्मचारी संघ और अन्य में, (2006) 11 एससीसी 731 (द्वितीय) में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने माना कि सेवा मामलों में केवल गैर-नियुक्त व्यक्ति ही नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर आक्षेपण कर सकते हैं। (रिपोर्ट का पैरा 61, पृष्ठ 755 देखें)।

18. यह विचार इस न्यायालय द्वारा दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र और अन्य (2005) 1 एससीसी 590 में बहुत दृढ़ता से व्यक्त किया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुर्योधन साहू (सुप्रा) में निर्णय के बावजूद, सेवा मामलों में जनहित याचिका ß बेरोकटोक जारी रखें"। इस न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय को दुर्योधन साहू (उपर्युक्त) के फैसले के मद्देनजर ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। (पैरा 16, पृष्ठ 596)

19. अशोक कुमार पांडे बनाम डब्ल्यू.बी.राज्य (2004) 3 एससीसी 349 के पृष्ठ 358 (पैरा 16) में व्यक्त किया गया ।

20. इस न्यायालय के दिनांक 30.8.2010 को दिए गए एक हालिया फैसले में, हरि बंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो और अन्य, (एमएएनयू/एससी/9654/2010) में, यह माना गया है कि 'अधिकारपृच्छा' रिट के मामले को छोड़कर, सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है (पैरा 6 और 7 देखें)

21. अगले बिंदु में अपीलार्थीगण द्वारा दृढतापूर्वक निवेदन किया गया, कि उन्हें दो याचिकाओं में कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया था, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उनकी आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा हो, यह भी मामले की जड़ तक जाता है क्योंकि यह "दूसरे पक्ष को भी सुने" (ऑडी अल्टरम पार्टम) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

22. इस न्यायालय के द्वारा प्रबोध वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में, [(1984) 4 एससीसी 251 पृष्ठ 273 पर] में अभिनिर्धारित किया गया है कि, "एक उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर उन व्यक्तियों के बिना फैसला नहीं करना चाहिए जो उसके समक्ष उत्तरवादी के रूप में उसके फैसले से बेहद प्रभावित होंगे..."। इसी प्रकार रामाराव और अन्य बनाम ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास बैंक एम्प्लायज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य, [(2004) 2 एससीसी 76, पृष्ठ 86 पर] में इस न्यायालय ने कहा, "...किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ जारी किया गया आदेश, कानून की दृष्टि से बुरा माना जाना चाहिए। यहां अपीलार्थीगण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित निर्देश के कारण, उनके पक्ष में किए गए पदोन्नति के आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया था, निर्विवाद रूप से आवश्यक पक्ष थे। इसलिए, उनकी अनुपस्थिति में, रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सकता था।" इसके अलावा बी. रामनजिनी और अन्य बनाम स्टेट आफ आंध्र प्रदेश और अन्य, [(2002) 5 एससीसी 533 पृष्ठ 542-543, पैराग्राफ 19] में जहां कुछ शिक्षकों के चयन को उन्हें शामिल किए बिना चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने कहा, "चयन प्रक्रिया बहुत पहले ही 1998 में शुरु हो गई थी और यह पूरी हो चुकी थी। चयनित व्यक्तियों को किए गए चयन के अनुसार नियुक्त किया गया था और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे थे। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को उनके व्यक्तिगत क्षमता या किसी प्रतिनिधि क्षमता में कार्यवाही में पक्षकार के रुप में शामिल नहीं किया गया था । मामले को देखते हुए, उच्च न्यायालय को उसके समक्ष शुरु की गई कार्यवाही में उठाए गए किसी भी प्रश्न की जांच करनी चाहिए थी। संबंधित उत्तरवादीगण द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं जो कमोबेश जनहित याचिका की प्रकृति की हैं, खारिज कर दी जानी चाहिए ।"

23. उच्च न्यायालय ने पुर्नविलोकन याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में निकट संबंधियों को शामिल होने की अनुमति देने में गंभीर अनियमितता को देखते हुए, संपूर्ण चयन को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। यह निष्कर्ष काफी व्यापक है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका(सि) No.63/2002 में चयन समिति के किसी भी सदस्य ने अपने निकट संबंधियों को उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल रिट याचिका(सि) No.1529/2001 में चयन प्रक्रिया निकट रिश्तेदारों की उपस्थिति के आधार पर रद्द कर दी गई थी, न कि रिट याचिका (सि) संख्या63/2002 में। इसके अलावा रिट याचिका(सि)No.1529/2001 में भी एक आदेश दिनांक 10/12/2001 (अर्थात पुर्नविलोकन याचिका को खारिज करने से पहले) जिला कलेक्टर द्वारा

जांच करने के बाद दिया था कि रिश्तेदारों के तीन कथित मामलों में से चुने जानेवाले चयनकर्ताओं में से दो 'रिश्तेदार' थे, जैसा कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत को परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति जय पाल सिंह जो जिला पंचायत के सदस्य लायक सिंह गुर्जर का 'रिश्तेदार' पाया गया, अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन कभी उसका चयन नहीं किया गया था। इसे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

24. इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चयन प्रक्रिया में निकट संबंधियों की कथित भागीदारी कोई ऐसा कारक नहीं था जो पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर दे। यदि चयन प्रक्रिया में कुछ अवैध लाभार्थी भी थे, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय उन्हें बाहर किया जाना चाहिए था। चरणजीत सिंह व अन्य बनाम हरिंदर शर्मा और अन्य [(2002) 9 एससीसी 732] मामले में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस मामले में, चयन प्रक्रिया में उच्च् न्यायालय के हस्तक्षेप को मंजूरी नहीं देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया में कुछ उम्मीदवार चयन समिति के सदस्यों के रिश्तेदार थे, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी उम्मीदवार चयन समिति के सदस्यों के रिश्तेदार थे और उनका चयन अवैध तरीके से किया गया था। यह भी माना गया कि चूंकि याचिका चयन प्रक्रिया में शामिल हुए किसी भी उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई थी और इसके बजाय इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना अनुचित था।

25. इस मुद्दे के अधिक विस्तृत विश्लेषण पर, भारत संघ और अन्य बनाम राजेश पी.यू. पुथुवलनिकथु और अन्य, [(2003) 7 एससीसी 285 पृष्ठ 290 पर, पैराग्राफ 6], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "उपरोक्त के आलोक में एवं किसी ठोस और प्रासंगिक सामग्री अथवा व्यापक प्रकृति की विस्तृत दुर्बलता जिसके बारे में वास्तव में कहा जा सकता है इसने पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण या सकल रुप से कमजोर कर दिया तथा ऐसी एक या अन्य अनियमितताएं व अवैधताएं के, यदि कोई हो, लाभार्थियों को पृथक करना असंभव था, को समर्थित करते किसी भी विशिष्ट या श्रेणीबद्ध निष्कर्ष के अभाव में अन्य चयनित अभ्यर्थीगण जिनका चयन किसी भी प्रकार से एक अथवा अन्य कारणों से अप्रभावी नहीं पाया गया था को नियुक्ति से वंचित करने का कदाचित कोई न्यायसंगत औचित्य था । इस पुख्ता और सकारात्मक जानकारी के बावजूद ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से 31 को छोड़कर, अन्य के संदर्भ में कोई दुर्बलता नहीं पाई जा सकी, संपूर्ण चयन को रद्द करने के लिए एकतरफा कठोर और मनमाने मानक लागू करना, प्रासंगिकता की पूर्ण उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं है और अप्रासंगिकता से दूर जाने की अनुमति देते हुए, स्थिति को पूरा करने के लिए सख्ती से और उचित रुप से आवश्यकता से कहीं आगे जाने में आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने संपूर्ण चयनों को रद्द करने का इतना चरम और अनुचित निर्णय लेने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में ले लिया, जो तथ्यात्मक स्थिति पर भी पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक था, और जो कुछ भी दांव पर लगा था उसकी प्रकृति और गंभीरता से पूरी तरह से परे था, जिससे वस्तुतः ऐसा निर्णय अतार्किक हो जाता है।"

26. आरक्षित श्रेणी के रूप में पूर्व सैनिकों के चयन और नियुक्ति के मुद्दे पर, जो हमारे सामने रखा गया है, उससे हम समझते हैं कि मेहगांव में कुल 9 आवेदकों में से 5 पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया था, रौन में किसी को भी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि पूर्व सैनिकों की आरक्षण नीति के संबंध में कोई मुद्दा था तो इसे सेवा विवाद के रूप में लाया जाना चाहिए था न कि जनहित

याचिका में। उच्च न्यायालय को, उचित सम्मान के साथ, चयन प्रक्रिया को रद्द करने से पहले थोड़ा और संयम और संतुलन दिखाना चाहिए था, जिसमें चयनित व्यक्ति पहले ही 3 साल की सेवा दे चुके थे।

27. इसके अलावा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र के पैरा 10 में कहा गया है कि यदि आवेदक दिव्यांग या पूर्व सैनिक है तो उसे आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा और इसके सक्षम प्राधिकारी से इसी आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जैसा कि पहले रिट याचिका(सि)संख्या1529/2001 में उल्लेख किया गया था, 9 पूर्व सैनिकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5 को आरक्षित श्रेणी में चयनित और नियुक्त किया गया था। बाकी 4 का चयन चयन प्रक्रिया में नहीं हुआ. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि विज्ञापन इस प्रकार से बनाया गया था ताकि पूर्व सैनिकों को आवेदन करने से रोका जा सके।

28. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए था कि नियुक्ति रद्द करने का आदेश अधिकांश अपीलार्थीगण को बेरोजगार कर देगा। उनमें से अधिकांश पहले अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ा रहे थे, जहां से उन्होंने विज्ञापन के आलोक में आवेदन करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पिछला रोजगार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोड दिया था कि उनके तीन साल लंबे शिक्षण अनुभव के लिए, वर्तमान चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया उन्हें 25 प्रतिशत का अनुग्रह अंक प्रदान कर रही थी। इसमे उन्हें उनकी उम्र के संबंध में 8 साल की छूट भी दी गई थी। अब, यदि वे उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप अपनी नौकरी खो देते हैं तो वे प्रभावी रुप से बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि वे गैर- औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में अपनी पिछली नौकरियों को भी वापस नहीं पा सकते हैं, जिन्हें तब से समाप्त कर दिया गया है। इससे कई परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उनमें से अधिकांश 35-45 वर्ष की आयु के बीच के हैं, और उनके लिए दूसरी नौकरी खोजने की संभावनाएँ कम हैं। उनमें से कुछ वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा अपनी नियुक्ति को रद्द करने के समय अपने वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे।

29. उच्च न्यायालय के प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग में साम्या को उचित रूप से संतुलित नहीं किया गया था।

30. उपरोक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जाता है। चयन कार्यवाही को बरकरार रखा गया है।

31. पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अपील स्वीकार.

दिनेश चन्द्र थपलियाल, पी.डी.जे., बालाघाट